—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री कुलदीप धालीवाल — प्रार्थी
2. श्री संजय चाण्डक — अप्रार्थी सं. 3,4,5

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 12/3/26

अधिवक्ता प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यहकि प्रार्थीया की ओर से उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय मे है जिसमे प्रार्थीया को उपरोक्त दावे की सफलता की पूर्ण आशा व ठोस आधार है।

यह कि कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 के पति, अप्रार्थी सं. 2 के पिता तथा अप्रार्थी सं. 3 के सासूर व अप्रार्थी सं. 4 व 5 दादा भोलूराम पुत्र मलूराम जाति विश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के नाम तहसील पीलीबंगा के वक 8 एल जी डब्ल्यु (बी) के प. न. 15/286 (34) के किला न. 23/0.063, 24 व प. न. 15/287 (35) के किला न. 1

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ता 4, 6 ता1 5 तथा प. न. 16/287 (36) के किला न. 8,9,10 की कुल 4.617 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलग्न वाद है।

यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 के पति, अप्रार्थी सं. 2 के पिता तथा अप्रार्थी सं. 3 के ससूर व अप्रार्थी सं. 4 व 5 दादा भोलूराम पुत्र गलूराम जाति विश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ की दिनांक 03.11.2022 को मृत्यु हो चूकी है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 के पति तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पिता राजेन्द्र कुमार पुत्र भोलूराम की उसके माता पिता के जीवित रहते मृत्यु वर्ष 2013 मे हो चूकी है। कि राजेन्द्र कुमार की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी शादी सुरेन्द्र माझु पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के साथ सम्पन्न कर ली।

यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 के पति, अप्रार्थी सं. 2 के पिता तथा अप्रार्थी सं. 3 के ससूर व अप्रार्थी सं. 4 व 5 दादा भोलूराम पुत्र गलूराम जाति विश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ की मृत्यु दिनांक 03.11.2022 को हो जाने से मृतक भोलूराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज तहसील पीलीबंगा के चक 8 एल जी डब्ल्यु (बी) के प. न. 15/286 (34) के किला न. 23/0.063, 24 व प. न. 15/287 (35) के किला न. 1 ता 4, 6 ता 15 तथा प. न. 16/287 (36) के किला न. 8,9,10 की कुल 4.617 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि मे प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 शारदा, अप्रार्थी सं. 2 भीम अप्रार्थी सं. 4 ता 5 के मृत पिता राजेन्द्र कुमार के विधिक वारिसान अप्रार्थी स. 1,4 व 5 को विरास्त मे ब हिस्सा बराबर मे हुई। कि दिनांक 03.11.2022 को भोलूराम की मृत्यु से पूर्व ही अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी शादी सुरेन्द्र माझु के साथ सम्पन्न कर ली होने से भोलूराम की मृत्यु से राजेन्द्र को विरास्त मे प्राप्त हुई भूमि अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 4 व 5 को ब हिस्सा बरबर मे प्राप्त हुई होने से प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि मे अपने 1/4 हिस्से की खातेदार कृषक होने की घोषणा करवाने व प्रश्नगत भूमि मे अपने 1/4 हिस्से का अच्छी–मन्दी भूमि अनुसार बटवारा करवाकर अपना खाता अप्रार्थीगण से अलग करवाने की अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीगण चक 8 एल जी डब्ल्यु (बी) के प. न. 15/286 (34) के किला न. 23/0. 063, 24 व प. न. 15/287 (35) के किला न. 1 ता 4, 6 ता 15 तथा प. न. 16/287(36) के किला न. 8,9,10 की कुल 4.617 हैक्टर कृषि भूमि अनकमाण्ड. मय गैर.मु.भूमि में बिना प्रार्थीया के हक व हिस्से की घोषणा करवाये अप्रार्थीगण किसी फर्जी व कृटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया का विरास्त मे प्राप्त भूमि से वंचित करने के दुर्भावना पूर्वक आशय से प्रश्नगत भूमि का अन्तरण करने के लिये प्रयासरत होने के कारण प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला सूविधा का सन्तूलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू होने से प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का वादकालिन निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण चक 8 एल जी डब्ल्यु (बी) के प. न. 15/286 (34) के किला न. 23/0. 063, 24 व प. न. 15/287 (35) के किला न. 1 ता 4, 6 ता 15 तथा प. न. 16/287(36) के किला न. 8,9,10 कुल 4. 617 हैक्टर कृषि भूमि अनकमाण्ड भूमि को बिना घोषणा करवाये किसी प्रकार से अन्तरण करने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखलदाजी करने से निषेध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण क के विरूद्ध इस आशय का वादकालिन निषेधाज्ञा जारी की जावे है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया चक 8 एल जी डब्ल्यु (बी) के प. न. 15/286 (34) के किला न. 23/0.063, 24 व प. न. 15/287 (35) के किला न. 1 ता 4, 6 ता 15 तथा प. न. 16/287(36) के किला न. 8,9,10

अतिरिक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कुल 4.617 हैक्टर कृषि भूमि अनकमाण्ड भूमि को बिना घोषणा करवाये किसी प्रकार से अन्तरण करने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे दखलदाजी करने से निषेध रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षिय बहस सुनी गई जिसपर दिनांक 09.01.2023 को चक 8 एल जी डब्ल्यु (बी) के प. न. 15/286 (34) के किला न. 23/0.063, 24 व प. न. 15/287 (35) के किला न. 1 ता 4, 6 ता 15 तथा प. न. 16/287(36) के किला न. 8,9,10 कुल 4.617 हैक्टर कृषि भूमि अनकमाण्ड भूमि पर प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि पर मौका रिकार्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शुदा है।

अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार से है—

अप्रार्थी नं0 3 व 4 सुनीता—प्रक्षित का जवाब प्रार्थना—पत्र निम्नानुसार है—यह कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की मद संख्या— 1 में दर्ज यह कथन कि' उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, यहां तक स्वीकार है। इस मद में दर्ज शेष कथन कयास के आधार पर एंव बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के अंकित किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की मद संख्या— 2 में दर्ज वंशावली अस्पष्ट एंव अधुरी अंकित की हुई होने के कारण न्यायालय के समक्ष इसे प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर ही है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की मद संख्या— 3 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से संबंधित है एंव स्वीकार है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की मद संख्या— 4 में दर्ज कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की मद संख्या— 5 की प्रथम दो पंक्तियों में दर्ज कथन स्वीकार है। इस मद में दर्ज शेष कथन अस्पष्ट एंव अधुरे दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की मद संख्या— 6 में प्रार्थी ने जिस चालाकी एंव नियम विरूद्ध तरिके से वादाधीन कृषि भूमि में पक्षकारों के हिस्सों का विवरण एंव प्रार्थी के द्वारा अपनी कानूनी सीमाओं से बाहर जाकर जो—जो कथन दर्ज किए है वे स्पष्टतः विधि—विरूद्ध, नाबालिग पक्षकारान का हिस्सा हड़प करने की मन्शा से तथा मनगढ़ंत तरिके से दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी इस मद में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि में अपने 1/4 हिस्सा की खातेदार कृषक होने की घोषणा करवाने की एंव अच्छी—मंदी अनुसार बंटवारा करवाने की कानूनः कतई हकदार नहीं है। स्व0 श्री भोलुराम के द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादाधीन कृषि भूमि में से अप्रार्थी नं0 3 सुनीता के पक्ष में 0.633 है० कृषि भूमि का दस्तावेज गिफट डीड (दान—पत्र, के द्वारा हस्तान्तरण कर दिया गया था। पार्थी को इस वास्तविकता की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी माननीय न्यायालय के समक्ष असत्य कथनों के आधार पर उक्त अनवान का वाद—पत्र/प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर जो अनुतोष चाहा गया है वह पूर्णतयः विधि—विरूद्ध, दस्तावेजों के विपरित एंव नाबालिगान के हिस्सा को हड़प करने की मन्शा से दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारीज योग्य है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र की मद संख्या—7 में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि की बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष हासिल करने के संबंध में जो—जो कथन दर्ज किए गए है वे पूर्णतयः असत्य, वास्तविकता के विपरित एंव दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरित तथा धारा—212 आर0टी0ए0 में प्रदत प्रावधानों के विपरित दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

अतः जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा अपने इस प्रार्थना—पत्र के माध्यम से वादाधीन कृषि भूमि के सबंध में रजिस्टर्ड दस्तावेज के विपरित, वास्तविकता की

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी असत्य कथनों के आधार पर नाबालिगान के हिस्सा की कृषि भूमि को हड़प करने की मन्शा से समस्त कथन दर्ज किए हुए होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 5 क्रमश– राहुल पुत्र राजेन्द्र र का जवाब प्रार्थना–पत्र निम्नानुसार है– यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 1 में दर्ज यह कथन कि' उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, यहां तक स्वीकार है। इस मद में दर्ज शेष कथन कयास के आधार पर एंव बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के अंकित किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 2 में दर्ज वंशावली अस्पष्ट एंव अधुरी अंकित की हुई होने के कारण न्यायालय के समक्ष इसे प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थी पर ही है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 3 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से संबंधित है एंव स्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 4 में दर्ज कथन स्वीकार है । 5. यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 की प्रथम दो पक्तियों में दर्ज कथन स्वीकार है। इस मद में दर्ज शेष कथन अस्पष्ट एंव अधुरे दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 में प्रार्थी ने जिस चालाकी एंव नियम विरूद्ध तरिके से वादाधीन कृषि भूमि में पक्षकारों के हिस्सों का विवरण एंव प्रार्थी के द्वारा अपनी कानूनी सीमाओं से बाहर जाकर जो–जो कथन दर्ज किए है वे स्पष्टतः विधि–विरूद्ध, नाबालिग पक्षकारान का हिस्सा हड़प करने की मन्शा से तथा मनगढ़ंत तरिके से दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी इस मद में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि में अपने 1/4 हिस्सा की खातेदार कृषक होने की घोषणा करवाने की एंव अच्छी–मंदी अनुसार बंटवारा करवाने की कानूनः कतई हकदार नहीं है। स्व० श्री भोलुराम के द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादाधीन कृषि भूमि में से अप्रार्थी नं0 5 की माता अप्रार्थी नं0 3 सुनीता के पक्ष में 0.633 है0 कृषि भूमि का दस्तावेज गिफट डीड ख्दान–पत्र, के द्वारा हस्तान्तरण कर दिया गया था। प्रार्थी को इस वास्तविकता की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी माननीय न्यायालय के समक्ष असत्य कथनों के आधार पर उक्त अनवान का वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जो अनुतोष चाहा गया है वह पूर्णतयः विधि–विरूद्ध, दस्तावेजों के विपरित एंव नाबालिगान के हिस्सा को हड़प करने की मन्शा से दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज योग्य है।

यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 7 में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि की बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष हासिल करने के संबंध में जो–जो कथन दर्ज किए गए है वे पूर्णतयः असत्य, वास्तविकता के विपरित एंव दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरित तथा धारा–212 आर0टी0ए0 में प्रदत प्रावधानों के विपरित दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा अपने इस प्रार्थना–पत्र के माध्यम से वादाधीन कृषि भूमि के संबंध में रजिस्टर्ड दस्तावेज के विपरित, वास्तविकता की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी असत्य कथनों के आधार पर नाबालिगान के हिस्सा की कृषि भूमि को हड़प करने की मन्शा से समस्त कथन दर्ज किए हुए होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वाद तामिल नोटिस कोई हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी की जा चुकि है।

स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र में बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि गिफ्ट डीड सुनीता के पक्ष में भोलूराम के द्वारा की गई है। गिफ्ट डीड एक वोईड दस्तावेज है भोलूराम को गिफ्ट डीड का अधिकार नहीं है। प्रश्नगत रकबा का निर्णय दावा में किया जाना है कि भूमि पैत्रक है या नहीं इस लिए दावा निर्णय तक प्रश्नगत रकबा पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला निरंतर की जावे।

अधिवकता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि गिफट डीड को न्यायालय में चुनोति दी जानी थी जो कि प्रार्थीया द्वारा नहीं किया गया है। इस लिए प्रस्तुत वाद पत्र गुमराह करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत रकबा में भोलूराम रिकार्डिड खोतेदार है इस लिए रिकार्डेड खातेदार को प्राप्त अधिकारों के अनुरूप स्थाई व्ययादेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीया को यदि दान पत्र के संबंध में किसी प्रकार से आपत्तियां है तो संबंधित न्यायालय में चुनौती प्रस्तुत करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोश में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है इसलिए स्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 12/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा